

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)


क्रमांक प0 07(5)राज/वाद/2022 पार्ट-III

जयपुर दिनांक 05/09/2024

:: आदेश ::


राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 (संशोधित नियम 2015) के अन्तर्गत निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2023-24 में की गई अनुशंखाओं के पुनरावलोकन हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.08.2024 में की गई अभिशंखानुसार निम्न सूची के कॉलम संख्या 2 में अंकित कनिष्ठ सहायकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में अंकित पदोन्नति वर्ष में वरिष्ठ सहायक के पद पर किये गये चयन को एतद्वारा निरस्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष
1	2	3	4
1	श्री लक्ष्मण सिंह राजावत	सामान्य	2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से)
2	श्री संजय शर्मा	सामान्य	2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से)


(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
3. संबंधित जिला कलक्टर,.....।
4. संबंधित कोषाधिकारी,.....।
5. संबंधित कार्यालय,.....।
6. सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
7. संबंधित कर्मचारी,.....।
8. प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि